

हरि शंकर प्रसाद

बनाम

शाहिद अली खान एवं अन्य

13 मार्च, 2003

[आर.सी. लाहोटी तथा ब्रिजेश कुमार, न्यायमूर्तिगण]

निर्वाचन विधियाँ:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 16 (ए)/निर्वाचन संचालन नियम, 1961:
नियम 39 और 56:

निर्वाचन याचिका—रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत मुहर द्वारा अंकन के कारण मतों की अस्वीकृति—उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज—अपील पर, अभिनिर्धारित: जब एक बूथ में केवल कुछ मतपत्रों को गलत मुहर द्वारा अंकित किया गया था; यह यह दिखाने के लिए जाता है कि मतदान अधिकारी द्वारा गलत मुहर की आपूर्ति की गई थी और उसके बाद वापस ले ली गई थी जैसा कि अपीलकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है—रिटर्निंग अधिकारियों ने मतों को अस्वीकार करने से पहले मतदान/पीठासीन अधिकारियों द्वारा गलत मुहर की आपूर्ति के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित जांच नहीं की। उन्हें वैध मतों के रूप में गिनने के लिए निर्वाचन आयोग के लिखित निर्देश की भी अनदेखी की गई—अतः ऐसे मत वैध मत हैं—इस प्रकार याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित—निर्देश जारी किए गए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

मतदान अधिकारी का साक्ष्य—उस पर निर्भरता—अभिनिर्धारित, चूंकि मतदाताओं को गलत मुहर की आपूर्ति के संबंध में मतदान अधिकारियों में से एक का कथन परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के अभिवचन के अनुरूप है, ऐसा कथन विश्वसनीय है।

शब्द एवं वाक्यांश :

शब्द और वाक्यांश:

‘संतुष्ट महसूस किया’—मतपत्रों की अस्वीकृति के संदर्भ में अर्थ और विस्तार—निर्वाचन विधियाँ।

उत्तरदाता सं. 1 को अपीलकर्ता को 35 मतों के अंतर से हराकर बिहार राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। गणना में, रिटर्निंग ऑफिसर ने 90 मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे एक गलत मुहर द्वारा अंकित किए गए थे। अपीलकर्ता ने निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों की अनदेखी करने और विधि के उपबंधों की भी अनदेखी करने के आधार पर पक्ष में डाले गए 90 मतों की अस्वीकृति के आधार पर निर्वाचन याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दी गई थी। अतः वर्तमान अपील।

अपील अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. सुसंगत उपबंधों अर्थात् निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 39 और 56 से, यह स्पष्ट है कि मतपत्र उस स्थिति में खारिज किए जाने योग्य है यदि वह उस उपकरण के अतिरिक्त जिससे वह बनाया गया है, किसी अन्य तरीके से बनाया गया चिह्न धारण करता है जो उस प्रयोजन के लिए आपूर्ति किया गया है अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि यदि चिह्न मतदान कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति किए गए एक उपकरण द्वारा बनाया गया है, तो मतपत्र खारिज किए जाने योग्य नहीं होगा। [1119-एफ]

1.2. 1.2. निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि यदि पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मचारियों ने गलती से मतदाताओं को सुभेद्यक चिह्न मुहर की आपूर्ति की थी, तो इस प्रकार अंकित मतपत्रों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह आगे निर्देशित किया गया था कि मामले की समीक्षा की जाए और उन 90 मतपत्रों की गुण-दोष के आधार पर संवीक्षा की जाए और उन्हें उस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाए जिसके लिए वे वैध रूप से अंकित हैं। हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर ने 90

मतपत्रों को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया और परिणाम घोषित कर दिया। आदेश बिल्कुल भी यह संकेत नहीं देता है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने पीठासीन अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारियों में से किसी से भी सुभेद्यक चिह्न मुहर की गलती से आपूर्ति के तथ्य के संबंध में कोई भी जांच की थी। यह बिल्कुल भी संकेत नहीं दिया गया है कि किस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर "संतुष्ट महसूस किया" कि यह पीठासीन अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारियों की गलती के कारण नहीं था कि गलत मुहर की आपूर्ति की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने न तो संकेत दिया है और न ही यह दिखाया है कि यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया था कि किन परिस्थितियों में डाले गए 440 मतों में से केवल 90 मतपत्रों पर गलत मुहर लगाई गई थी। [1121-बी-एफ]

1.3. अ.सा.5, मतदान अधिकारियों में से एक जिसे मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए मुहर प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया था, ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदान शुरू होने के लगभग डेढ़ घंटे के बाद, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान की गई रबर की मुहर यह कहते हुए वापस ले ली गई थी कि यह उचित मुहर नहीं थी और प्रयोजन के लिए दूसरी मुहर दी गई थी। प्रति-परीक्षा में उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह याचिकाकर्ता के कहने पर गलत कथन कर रहा था। अ.सा.5 के कथन को स्वीकार न करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण कि उसके कथन का समर्थन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा नहीं की गई थी, एक ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है। मतदान अधिकारी की डायरी में गलत मुहर प्रदान करने के तथ्य का उल्लेख न होना भी, अ.सा.5 के कथन को स्वीकार न करने के लिए एक वैध कारण नहीं माना जा सकता है। [1121-एफ, जी; 1122-ए, बी]

1.4. मतदान अधिकारी ने इस तथ्य को कोई विशेष महत्व दिया हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ समय के लिए गलत मुहर का उपयोग किया गया था या डायरी में इस तथ्य का उल्लेख करने से बचा हो सकता है। डायरी और उसी का

भरा जाना, उसके अपने नियंत्रण में था। इस मामले में कि उसके द्वारा मतदान अधिकारियों में से एक को गलत मुहर प्रदान की गई थी जिसने इसे मतदाताओं को दिया था, उसके द्वारा डायरी में इस तथ्य का उल्लेख न करना किसी भी ऐसे अनुमान की ओर नहीं ले जाएगा कि ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी। ऐसे तथ्य का उल्लेख न करना स्पष्ट रूप से मतदान अधिकारी के अनुकूल होगा। उस व्यक्ति का स्वयं का एक सकारात्मक कथन है जिसने मतदाताओं को मुहर प्रदान की थी। याचिकाकर्ता के लिए अन्य मतदान अधिकारियों की परीक्षा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था जब एक बार कथन सीधे संबंधित व्यक्ति से आया था। अ.सा.5 का कथन परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के अभिवचन के अनुरूप है। [1122-बी-डी]

1.5. रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल 90 मतपत्रों को एक गलत मुहर द्वारा अंकित किया गया था और क्योंकि अन्य सभी मतपत्रों को गलत तरीके से अंकित नहीं किया गया था, यह उस अनुमान की ओर नहीं ले जाएगा कि यह मतदान कर्मचारियों की गलती के कारण नहीं था, जो अनुमान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके से निकाला गया है। यह बल्कि यह दिखाने के लिए जाता है कि जैसे ही गलती का पता चला, गलत मुहर वापस ले ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप गलत मुहर की वापसी के बाद शेष मतपत्रों पर एक सही मुहर द्वारा मुहर लगाई गई थी। अ.सा.5 द्वारा अपने साक्ष्य में संकेतित परिस्थितियाँ एक विश्वसनीय कारण प्रदान करती हैं, कि कैसे केवल 90 मतपत्रों पर सुभेदक चिह्न द्वारा मुहर लगाई गई थी और शेष पर नहीं। [1122-ई-जी]

1.6. उच्च न्यायालय की ओर से यह कहना गलत है कि याचिका में, ऐसा कोई मामला नहीं अभिवचित किया गया था। गलत मुहर की आपूर्ति का मामला प्रारंभिक चरण से ही बहुत अधिक अभिवचित किया गया था। [1122-जी]

1.7. यह समझने योग्य नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वास्तव में मतदाताओं को गलत मुहर की आपूर्ति के संबंध में क्या जांच की थी, जिसके आधार पर उसने "संतुष्ट

महसूस किया" कि मतदान कर्मचारियों द्वारा कोई गलत मुहर की आपूर्ति नहीं की गई थी। यह उसके आदेश में बिना किसी नाम मात्र की जांच के केवल एक निराधार अवलोकन है। 90 मतपत्रों को अस्वीकार करने का आदेश भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदेशों के विरुद्ध है। केवल पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मचारी ही उचित व्यक्ति होते जिनसे रिटर्निंग ऑफिसर को जांच करनी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर बहुत अधिक भरोसा करने में स्पष्ट रूप से भूल की। ऐसी प्रतिवेदन/आदेश जो किसी जांच पर आधारित नहीं है, और उन संबंधित व्यक्तियों से तो और भी कम है, जो तथ्य पर प्रकाश डाल सकते थे, बिना किसी सामग्री पर आधारित आदेश या प्रतिवेदन है। इस प्रकार, यह दूषित है और अनदेखा किए जाने योग्य है। [1123-ई-एच]

1.8. याचिकाकर्ता ने मतदान अधिकारी, अ.सा.5 की परीक्षा करके इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि मतदान कर्मचारियों द्वारा गलत मुहर की आपूर्ति की गई थी। मतदान अधिकारी द्वारा मतदाताओं को गलत मुहर उपलब्ध कराई गई थी। वह स्थिति होने के नाते, आपूर्ति की गई मुहर द्वारा अंकित ऐसे मतपत्र जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है, उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के पक्ष में गिना जाना है। दो दावेदारों के बीच मतों का अंतर केवल 35 मत है; अपीलकर्ता के पक्ष में 90 मतों की गणना करने से याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को 55 मतों की बढ़त प्राप्त होगी जो निर्वाचित घोषित किए जाने के हकदार होंगे। [1124-सी; 1124-ई, एफ]

टी.एच. मुस्तजफा बनाम एम.पी. वर्गीज एवं अन्य, [1999] 8 एस.सी.सी. 692 – इन पर भरोसा किया गया।

श्री मन्नी लाल बनाम श्री परमई लाल एवं अन्य, [1970] 2 एस.सी.सी. 462 – विभेदित।

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: 2002 की दीवानी अपील सं. 4621।

पटना उच्च न्यायालय के 2000 की ई.पी. सं. 1 में दिनांक 16.7.2002 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए राकेश द्विवेदी, गौरव अग्रवाल, सौरव अग्रवाल और प्रशांत कुमार।

न्यायालय का निर्णय निम्नांकित न्यायमूर्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया

ब्रिजेश कुमार, न्यायमूर्ति यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 16 (ए) के अधीन अपीलकर्ता द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को खारिज करने और राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदाता सं. 1 के निर्वाचन को बनाए रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील है।

अपीलकर्ता हरि शंकर प्रसाद ने बिहार राज्य में सीतामढ़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 67 के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में फरवरी, 2000 में आयोजित निर्वाचन लड़ा। वह बी.जे.पी. के अभ्यर्थी थे जबकि उत्तरदाता सं. 1 शाहिद अली खान, जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल के अभ्यर्थी रहे हैं। कई अन्य अभ्यर्थी भी मैदान में थे। मतदान 22.2.2000 को आयोजित किया गया था, गणना 25.2.2000 को की गई थी और परिणाम 27.2.2000 को घोषित किया गया था। उत्तरदाता सं. 1 शाहिद अली खान को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, अर्थात्, अपीलकर्ता हरि शंकर प्रसाद को 35 मतों के अंतर से हराकर निर्वाचित घोषित किया गया था।

अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ दो आधारों पर एक निर्वाचन याचिका दायर की जिन पर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तित किए गए प्रतीत होते हैं, एक उसके पक्ष में डाले गए 90 मतों की अस्वीकृति के संबंध में और दूसरा उसके पक्ष में अन्य 50 मतपत्रों के एक बंडल के खोने के बारे में। उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी आधार को स्वीकार नहीं किया है जिन्हें अब इस अपील में उठाया गया है लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों को उसके पक्ष में डाले गए 90 मतपत्रों की अस्वीकृति के संबंध में ही सीमित रखा है। टेबल सं. 7 पर बूथ सं. 49 के मतों की गणना के चौथे दौर में, यह पाया गया कि

अपीलकर्ता के पक्ष में 90 मतपत्रों को मतपत्र जारी करते समय मतदान अधिकारी द्वारा उपयोग किए गए 'सुभेदक चिह्न' की मुहर द्वारा अंकित किया गया था न कि मतदान के लिए अभिप्रेत मुहर द्वारा। इन मतपत्रों को अलग कर दिया गया और अपीलकर्ता के लिए नहीं गिना गया। अपीलकर्ता के मतदान अभिकर्ता ने आपत्ति उठाई और रिटर्निंग ऑफिसर के पास लिखित में विरोध दर्ज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपीलकर्ता की ओर से निर्वाचन आयोग को एक फैक्स संदेश भेजा गया था। सं. 67 सीतामढ़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग को भी एक संचार दिया गया प्रतीत होता है। निर्वाचन आयोग ने इसके उत्तर में 26.2.2000 को निर्देश जारी किए, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-7 के रूप में अभिलेख पर रखी गई है। यह निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

“...यदि पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मचारियों ने, गलती से, मतदाताओं को मतपत्रों को अंकित करने के लिए सुभेदक चिह्न मुहर की आपूर्ति की है, तो इस प्रकार अंकित मतपत्रों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए...”

रिटर्निंग ऑफिसर ने, मामले पर विचार करने के बाद, 90 मतपत्रों को खारिज कर दिया जो अपीलकर्ता के पक्ष में थे और उत्तरदाता सं. 1 शाहिद अली खान को 35 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया। परिणाम घोषित करने वाला और अपीलकर्ता की आपत्तियों को खारिज करने वाले तर्क वाला आदेश अनुलग्नक पी-8 है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है:

“.....पत्र सं. 459/बी.आर.-एल.ए./2000 (67) के माध्यम से आयोग से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि वे 90 मतपत्र जिन पर सुभेदक चिह्न मुहर थी, उन्हें सही मानकर गिना जा सकता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उन मतपत्रों की गणना, गणना के दौरान की गई थी। चूंकि उनकी एक बार गणना की जा चुकी है, इसलिए उन्हें दोबारा गिनने की कोई आवश्यकता

नहीं है और वे एक पक्ष के पक्ष में हैं। उसी के संबंध में सूचना सभी निर्वाचन अभिकर्ताओं/अभ्यर्थियों को दी गई थी, जिन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र में अन्य बूथों में और 68, बथनाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उस दौर की परिणाम प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे, गणना के समय ऐसे मतपत्रों को खारिज करने का निर्णय लिया गया था। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि यह पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती के कारण नहीं था कि गलती से मतदाताओं को सुभेदक चिह्न मुहर दी गई थी, क्योंकि उसी बूथ के अन्य मतपत्रों पर तीर क्रॉस उपकरण द्वारा बनाया गया चिह्न था।”

अपीलकर्ता के अनुसार 'सुभेदक चिह्न' लगाने के लिए अभिप्रेत गलत रबर की मुहर मतदान कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई थी और पहले डेढ़ घंटे के दौरान अपना मत डालते समय उसी का उपयोग किया जाना जारी रहा। बाद में गलत मुहर प्रदान करने में हुई गलती का पता चलने पर इसे बदल दिया गया था और उसके बाद मतपत्रों को मतदाताओं द्वारा क्रॉस मार्क की रबर की मुहर द्वारा अंकित किया गया था जो किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए अपना मत डालने हेतु एक मतदाता द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत थी। अपीलकर्ता का मामला यह है कि क्योंकि गलती मतदान कर्मचारियों की है, इसलिए सुभेदक चिह्न के अंकन वाले ऐसे मतों को खारिज नहीं किया जा सकता था और उन्हें अपीलकर्ता के पक्ष में गिना जाना है। उत्तरदाता सं. 1 ने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और एक प्रत्यारोप याचिका भी दायर की गई जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपने पुत्र और अन्य असामाजिक तत्वों के साथ बूथ कैपचरिंग का मामला बनाया गया और उस अवधि के दौरान यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 83 के अधीन यथा परिभाषित भ्रष्ट आचरण किया। इसलिए, 90 मतों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था।

दोनों पक्षकारों ने अपने संबंधित वाद के समर्थन में दस्तावेजी और साथ ही मौखिक, साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के वाद को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, यह जांचना पड़ सकता है कि मतदान कर्मचारियों की ओर से गलत रबर की मुहर प्रदान करने में कोई गलती थी या नहीं, जिसके कारण एक मतदाता द्वारा मतपत्र को अंकित करने के लिए विहित के अलावा अन्य चिह्न का उपयोग किया गया है जिससे मतपत्र खारिज किए जाने योग्य हो गया है। यह भी देखना पड़ सकता है कि क्या कोई मतदान केंद्र अधिग्रहण हुआ था जैसा कि उत्तरदाता सं. 1 द्वारा मतदान कर्मचारियों द्वारा सुभेदक चिह्न लगाने के लिए अभिप्रेत रबर की मुहर द्वारा 90 मतपत्रों के अंकन को स्पष्ट करने के लिए आरोप लगाया गया है।

उपर्युक्त विवाद के संबंध में, निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 (संक्षेप में 'नियमावली') के प्रासंगिक प्रावधानों का अवलोकन किया जा सकता है। नियम 39 मतदान केंद्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 39 (2) (बी) निम्नानुसार प्रावधान करता है :

“39(1) xxx xxx xxx

(2) मतपत्र प्राप्त करने पर निर्वाचक तत्काल—

(ए) xxx xxx xxx

(बी) वहां उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए वह मत देने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए आपूर्ति किए गए उपकरण से मतपत्र पर एक चिह्न बनाएगा;

(बल दिया गया)

(सी) xxx xxx xxx”

नियम 56 मतों की गणना से संबंधित है। नियम 56 (2) (बी) निम्नानुसार पढ़ा जाता है :

“56(1) xxx xxx xxx

(2) रिटर्निंग ऑफिसर एक मतपत्र को खारिज कर देगा—

(ए) xxx xxx xxx

(बी) यदि इस पर कोई चिह्न बिल्कुल नहीं है या, मत इंगित करने के लिए, इस पर मतपत्र के मुख पर किसी एक अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट के अलावा कहीं और चिह्न है या, इस पर इस प्रयोजन के लिए आपूर्ति किए गए उपकरण के अलावा अन्य तरीके से बनाया गया चिह्न है, या

(बल दिया गया)

(सी) xxx xxx xxx”

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि मतपत्र उस स्थिति में खारिज किए जाने योग्य है यदि इस पर इस प्रयोजन के लिए आपूर्ति किए गए उपकरण के अलावा अन्य तरीके से बनाया गया चिह्न है अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि यदि चिह्न मतदान कर्मचारियों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण द्वारा बनाया गया है, तो मतपत्र खारिज किए जाने योग्य नहीं होगा। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, दोनों पक्षकारों ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मतदान अधिकारी अ.सा. 5 अवधेश कुमार के अतिरिक्त कोई अन्य साक्षी इस वाद के समर्थन में पेश नहीं किया गया था कि मतदाताओं को गलत मुहर की आपूर्ति की गई थी। यह भी पाया गया है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी में गलत मुहर की आपूर्ति के बारे में उल्लेख नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वाद को स्वीकार नहीं किया गया था। यह भी प्रेक्षित किया गया है कि न्यायालय में यह पहली बार था कि अ.सा. 5 अवधेश कुमार ने यह कथन दिया था कि उनके द्वारा गलती से मतदाताओं को गलत मुहर दी गई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और सही मुहर की आपूर्ति की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी प्रेक्षित किया है कि निर्वाचन याचिका

और अन्य विरोध आवेदनों में यह इंगित नहीं किया गया था कि अ.सा. 5 अवधेश कुमार द्वारा गलत मुहर प्रदान की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है कि भारत के निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले पर विचार किया था और याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया था।

उत्तरदाता सं. 1 के मतदान केंद्र अधिग्रहण के मामले के संबंध में जहाँ तक का प्रश्न है, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और न ही कभी किसी भी समय पहले ऐसा कोई आरोप लगाया गया था। इसलिए, उत्तरदाता सं. 1 द्वारा प्रस्तुत मतदान केंद्र अधिग्रहण के वाद को भी खारिज कर दिया गया था।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हम याचिकाकर्ता के वाद को स्वीकार न करने में उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कारणों की जांच कर सकते हैं और आगे यह भी कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसे कारण कहाँ तक पोषणीय हैं।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रथमतः हमारा ध्यान निर्वाचन याचिका में किए गए प्रकथनों की ओर आकर्षित किया है, विशेष रूप से, याचिका की कंडिका 12 की ओर जिसमें यह प्रकथित किया गया है कि मेज सं. 7 पर चक्र सं. 4 में, मतदान केंद्र सं. 49 में, याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए और अंकित पाए गए 93 मतपत्रों को जानबूझकर संदिग्ध मतों के स्तंभ में रखा गया था और निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 56 के उल्लंघन में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। कंडिका 13 में यह प्रकथित है कि याचिकाकर्ता के निर्वाचन अभिकर्ता ने गणना के दौरान ही 25.2.2000 को वहीं और तभी एक विरोध दर्ज कराया था। यह आगे प्रकथित है कि अभिकर्ता को यह बताते हुए कि मामले को इसके निर्देश प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग को संदर्भित किया जा रहा है, कुछ समय के लिए गणना रोक दी गई थी। कंडिका 17 में यह प्रकथित किया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने

उसके पक्ष में अंकित 90 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। यह भी प्रकथित है कि मतदान कर्मचारियों ने गलती से मतदाताओं को 'सुभेदक चिह्न' की मुहर की आपूर्ति की थी। हम यह भी पाते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग को भेजे गए फैक्स संदेश में, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-6 के रूप में अभिलेख पर रखी गई है, "कोई अन्य असामान्य विशेषता" शीर्षक के अधीन स्तंभ 5 में निम्नानुसार उल्लेख है:

"90 डाले गए मतपत्र पाए गए थे जो विहित मुहर के साथ नहीं डाले गए थे बल्कि सुभेदक चिह्न के साथ मुहरबंद थे जिन्हें गणना के दौरान संदिग्ध माना गया था और सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, मत केवल 35 है, इसलिए परिणाम घोषित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अनुमति देने हेतु मामला निर्वाचन आयोग को संदर्भित किया जा रहा है।"

इस निर्णय के पूर्व भाग में निर्वाचन आयोग के दिनांक 26.2.2000 के उत्तर को पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। ये तथ्य संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि बिल्कुल प्रारंभ से ही अपीलकर्ता की ओर से उसके पक्ष में 90 मतों की गणना न किए जाने के संबंध में एक विरोध किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यदि पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मचारियों ने गलती से मतदाताओं को सुभेदक चिह्न मुहर की आपूर्ति की थी, तो इस प्रकार अंकित मतपत्रों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह आगे निर्देशित किया गया था कि "इसलिए आपको मामले की समीक्षा करनी चाहिए और उन 90 मतपत्रों की गुणागुण के आधार पर संवीक्षा करनी चाहिए और उन्हें उस अभ्यर्थी के पक्ष में गिनना चाहिए जिसके लिए वे वैध रूप से अंकित हैं"। रिटर्निंग ऑफिसर ने 27.2.2000 को 90 मतपत्रों को खारिज करते हुए आदेश पारित किया और परिणाम घोषित किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने 27.2.2000 दिनांकित अपने आदेश में मतपत्रों को खारिज करते हुए प्रेक्षित किया है "मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि यह पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी

की गलती के कारण नहीं था कि गलती से मतदाताओं को सुभेदक चिह्न मुहर दी गई थी, क्योंकि उसी मतदान केंद्र के अन्य मतपत्रों पर तीर और क्रॉस उपकरण द्वारा बनाया गया चिह्न था"। आदेश बिल्कुल भी यह इंगित नहीं करता है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने पीठासीन अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी की गलती से सुभेदक चिह्न मुहर की आपूर्ति के तथ्य के संबंध में किसी से भी कोई भी जांच की थी। यह किसी का मामला नहीं है कि मतदान केंद्र के सभी मतों पर गलत मुहर लगाई गई थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यह प्रारंभ में केवल डेढ़ घंटे के लिए था कि मतपत्रों को गलत मुहर द्वारा अंकित किया गया था जिसके बाद सही मुहर की आपूर्ति की गई थी। यह बिल्कुल भी इंगित नहीं किया गया है कि किस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने "संतुष्ट महसूस किया" कि यह पीठासीन अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी की गलती के कारण नहीं था कि गलत मुहर की आपूर्ति की गई थी। मतदान केंद्र अधिग्रहण के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। उत्तरदाता सं. 1 द्वारा पहले कभी ऐसा कोई आरोप या आपत्ति नहीं की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह इंगित नहीं किया है और न ही यह पता लगाने का कोई प्रयास करते हुए दिखाया गया है कि किन परिस्थितियों में मतदान केंद्र सं. 49 पर डाले गए 440 मतों में से केवल 90 मतपत्रों पर गलत मुहर लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने वाद की पुष्टि करने के लिए अ.सा. 5 अवधेश कुमार की परीक्षा की जो मतदान अधिकारियों में से एक थे जिन्हें मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए मुहर प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें मतदाताओं को रबर की मुहर के ऊपर अंकन करने और यह देखने का कर्तव्य सौंपा गया था कि मतपत्रों को उचित रूप से मोड़ा गया है और पेटी में डाला गया है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग डेढ़ घंटे के बाद वह रबर की मुहर जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी, यह कहते हुए वापस ले ली गई थी कि यह उचित मुहर नहीं थी और इस प्रयोजन के लिए दूसरी मुहर दी गई थी। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि वह याचिकाकर्ता के कहने पर गलत कथन दे रहे थे। उन्होंने

आगे बताया कि वह एक बैंक के कर्मचारी हैं और उन्हें पीठासीन अधिकारी का नाम याद नहीं था लेकिन केवल इतना याद था कि वह रेशम उद्योग विभाग के एक कर्मचारी थे। अ.सा. 5 के कथन को स्वीकार न करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कारण कि उनके कथन के समर्थन में किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा नहीं की गई थी, एक सशक्त कारण प्रतीत नहीं होता है। मतदान अधिकारी की डायरी में भी गलत मुहर प्रदान करने के तथ्य का उल्लेख न होना, अ.सा. 5 के कथन को स्वीकार न करने के लिए एक वैध कारण नहीं माना जा सकता है। मतदान अधिकारी ने इस तथ्य को कोई विशेष महत्व दिया हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ समय के लिए गलत मुहर का उपयोग किया गया था या डायरी में इस तथ्य का उल्लेख करने से बचा हो सकता है। डायरी और उसे भरना, उनके अपने नियंत्रण में था। यदि उनके द्वारा मतदान अधिकारी सं. 3 को गलत मुहर प्रदान की गई थी जिसने इसे मतदाताओं को दिया था, तो उनके द्वारा डायरी में इस तथ्य का उल्लेख न करना किसी भी इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगा कि ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी। ऐसे तथ्य का उल्लेख न करना स्पष्ट रूप से मतदान अधिकारी के अनुकूल होगा। उस व्यक्ति का स्वयं का एक सकारात्मक कथन है जिसने मतदाताओं को मुहर प्रदान की थी। एक बार जब कथन प्रत्यक्ष स्रोत से आया था, तो याचिकाकर्ता के लिए अन्य मतदान अधिकारियों की परीक्षा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। अ.सा. 5 का कथन परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के अभिवचन के अनुरूप है। उत्तरदाता सं. 1 पीठासीन अधिकारी को अपने साक्षी के रूप में यह इंगित करने के लिए पेश कर सकते थे कि उन्होंने मतदान अधिकारी सं. 3, अवधेश कुमार को मतदाताओं को आपूर्ति किए जाने के लिए केवल सही मुहर ही दी थी।

रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि केवल 90 मतपत्रों को गलत मुहर द्वारा अंकित किया गया था और चूंकि अन्य सभी मतपत्रों को गलत तरीके से मुहरबंद नहीं किया गया था, इसलिए यह इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगा कि यह मतदान

कर्मचारियों की गलती के कारण नहीं था, जो निष्कर्ष रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके से निकाला गया है। यह बल्कि यह दिखाने के लिए जाता है कि जैसे ही गलती का पता चला, गलत मुहर वापस ले ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप गलत मुहर की वापसी के बाद शेष मतपत्रों को सही मुहर द्वारा मुहरबंद किया गया था। पुनरावृत्ति के जोखिम पर हम फिर से उल्लेख कर सकते हैं कि मतदान केंद्र अधिग्रहण का सिद्धांत, जो शायद मतपत्रों पर इस तरह की गलत मुहर की व्याख्या कर सकता था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अ.सा. 5 द्वारा अपने साक्ष्य में इंगित परिस्थितियाँ एक विश्वसनीय कारण प्रदान करती हैं, कि कैसे केवल 90 मतपत्रों को सुभेदक चिह्न द्वारा मुहरबंद किया गया था न कि शेष को। उच्च न्यायालय की ओर से यह कहना भी गलत है कि याचिका में ऐसा कोई मामला नहीं अभिवचित किया गया था। हमने निर्वाचन याचिका की कंडिका 17 में किए गए प्रकथनों का संदर्भ दिया है कि गलती से मतदान कर्मचारियों ने गलत मुहर की आपूर्ति की थी। गलत मुहर की आपूर्ति का मामला बिल्कुल प्रारंभिक चरण से ही बहुत अधिक अभिवचित किया गया था।

ब.सा. 5 के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर की परीक्षा की गई है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति में 90 मतों पर गलत तरीके से मुहर लगाने के मामले की जांच की थी और वह काफी संतुष्ट थे कि न तो पीठासीन अधिकारी द्वारा और न ही मतदान अधिकारी द्वारा कोई गलती की गई थी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निम्नानुसार कहा:

“.....यदि केंद्रीय प्रेक्षक ने भारत के निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित तरीके से कुछ भी लिखा था:

‘भारत के निर्वाचन आयोग के निर्णय/आदेश पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित सकारण आदेश जो मैं बहुत अनुनय के बाद उनसे प्राप्त कर सका। परिणाम की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा मुझे दी

गई शिकायत भी अनुलग्नक-सी के रूप में संलग्न है। मेरी प्रतिवेदन के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशों और प्रेक्षक के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। उनकी कार्रवाई जीतने वाले अभ्यर्थी के पक्ष में पक्षपात की बू देती है, शायद राजनीतिक दबाव के कारण।'

तो वह पूर्णतः असत्य और पक्षपातपूर्ण है"।

अपने कथन के उत्तरार्ध में उन्होंने आगे निम्नानुसार कहा:

"उन मतपत्रों में सुभेदक चिह्नों और मुहरों के संबंध में मतदान कर्मचारियों से विशिष्ट रूप से कोई जांच और सत्यापन नहीं किया गया था"।

यह समझ में नहीं आता है कि तब रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदाताओं को गलत मुहर की आपूर्ति के संबंध में वास्तव में क्या जांच की थी, जिसके आधार पर उन्होंने "संतुष्ट महसूस किया" कि मतदान कर्मचारियों द्वारा कोई गलत मुहर की आपूर्ति नहीं की गई थी। यह नाम मात्र की किसी जांच के बिना उनके आदेश में केवल एक निराधार प्रेक्षण है। 90 मतपत्रों को खारिज करने वाला आदेश भारत के निर्वाचन आयोग के दिनांक 26.2.2000 के निर्देशों और आदेशों के विरुद्ध है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर से इस तथ्य की जांच करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मचारियों ने गलती से मतपत्र को अंकित करने वाले मतदाताओं को सुभेदक चिह्न मुहर की आपूर्ति की थी और, यदि ऐसा था, तो मतपत्रों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। केवल पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मचारी ही वे उचित व्यक्ति होते जिनसे रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ करने की अपेक्षा की गई थी लेकिन स्वीकार्य रूप से वह ऐसा करने में विफल रहे। उच्च न्यायालय ने 90 मतों को खारिज करने के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायत पर पुनर्विचार करने पर, रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर बहुत अधिक भरोसा करने में स्पष्ट रूप से भूल की। ऐसी प्रतिवेदन/आदेश जो स्वीकार्य रूप से किसी जांच पर आधारित नहीं है, संबंधित व्यक्तियों से

तो और भी कम, जो इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकते थे, एक ऐसी सामग्री पर आधारित आदेश या प्रतिवेदन है जो किसी सामग्री पर आधारित नहीं है; यह दूषित है और अनदेखा किए जाने योग्य है। इस पृष्ठभूमि में हम पाते हैं कि अ.सा.-5 जो मतदान अधिकारियों में से एक थे, जिन्होंने अपने सौंपे गए कर्तव्य के अनुसार मतदाताओं को मुहर की आपूर्ति की थी और आगे यह बताया है कि मतदान शुरू होने के लगभग डेढ़ घंटे बाद मुहर वापस ले ली गई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा सही मुहर की आपूर्ति की गई थी, उनके कथन को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। उनका कथन पूरी तरह से परिस्थितियों द्वारा समर्थित है।

उत्तरदाता सं. 1 की ओर से, (1970) 2 एस.सी.सी. पृ. 462, *श्री मन्नी लाल बनाम श्री परमल लाल और अन्य* में प्रतिवेदित एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य है कि वह इस तथ्य को सिद्ध करे कि मतपत्रों को मतदान कर्मचारियों द्वारा जारी की गई मुहर द्वारा अंकित किया गया था। इसके अभाव में, मतपत्रों को सही तरीके से खारिज किया गया माना गया था। विधि के सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं है और इस वाद में, हमारे विचार में, याचिकाकर्ता ने अ.सा. 5 की परीक्षा करके इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि मतदान कर्मचारियों द्वारा मुहर की आपूर्ति की गई थी, जो मतदान अधिकारियों में से एक थे जिनका कर्तव्य मतदाताओं को रबर की मुहर प्रदान करना था। अपीलकर्ता की ओर से इस न्यायालय के [1999] 8 एस.सी.सी. पृ. 692, *टी.एच. मुस्तफा बनाम एम.पी. वर्गीज और अन्य* में प्रतिवेदित निर्णय पर अवलंबन किया गया है, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ गलत उपकरण की आपूर्ति मतदान अधिकारी की गलती के कारण मतदाताओं को होती है और मतपत्रों को गलत तरीके से आपूर्ति की गई ऐसी मुहर द्वारा अंकित किया गया है, वे खारिज किए जाने योग्य नहीं हैं।

अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि मतदान अधिकारी द्वारा मतदाताओं को गलत मुहर उपलब्ध कराई गई थी। वह स्थिति होने के नाते, आपूर्ति की गई मुहर द्वारा अंकित ऐसे मतपत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है और उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार भी याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के पक्ष में गिना जाना है। दो दावेदारों के बीच मतों का अंतर केवल 35 मत है, अपीलकर्ता के पक्ष में 90 मतों की गणना करने से याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को 55 मतों की बढ़त प्राप्त होगी जो निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार होंगे।

उपरोक्त चर्चा के लिए, निर्वाचन याचिका सव्यय अनुज्ञात की जाती है। उत्तरदाता सं. 1 के निर्वाचित होने की घोषणा को अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को सीतामढ़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 67, बिहार राज्य से निर्वाचित घोषित किया जाता है।

एस.के.एस. अपील अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।